भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 657

24/07/2026 को उत्तरार्थ

विषय- एनएचबी द्वारा किसानों को प्रदान की गई राजसहायता

657 श्री रामजी लाल सुमनः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) द्वारा किसानों को राजसहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही/प्रबंधित योजनाओं और वर्ष 2023-24 से आज की तिथि तक इनके लिए आवंटित, जारी और प्रयुक्त धनराशि का योजना-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2023-24 से अब तक किसानों को प्रदान की गई राजसहायता का योजना-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 2023-24 से आज की तिथि तक उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों की योजना-वार, वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 'राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड' किसानों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है: -

1. **बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास** - यह योजना किसानों की आय बढ़ाने का एक बेहतर विकल्प प्रदान करती है। इसमें बागवानी क्षेत्र से संबंधित इकाईयों यथा, उत्पादन से संबंधित परियोजनाओं और फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम), जैसे कि पैक हाउस, राइपनिंग चैंबर, रेफ़र वैन, रिटेल आउटलेट, प्री-कूलिंग यूनिट्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग आदि की स्थापना के लिए 'बैक-एंडेड सब्सिडी' के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना का सार निम्नानुसार है:-

1.1 **ओपन फील्ड खेती** - परियोजना मोड में ओपन फील्ड में वाणिज्यिक बागवानी के विकास हेतु निर्धारित की गई फसल-विशिष्ट लागत मानकों और पात्र परियोजना लागत के आधार पर 40% की दर से बैक-एंडेड कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में अधिकतम 40.00 लाख रुपये तक और पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकतम 50.00 लाख रुपये तक है। 20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाली बड़ी परियोजनाओं लिए; सेब, अखरोट, बादाम, काजू, कीवी और डेट पाम जैसी फसलों के लिए, हर

फसल के लिए निर्धारित लागत के मानकों के अनुसार, सामान्य क्षेत्रों में 80.00 लाख रुपये तक और पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में 1.00 करोड़ रुपये तक की सहायता मिल सकती है।

1.2 **संरक्षित कवर/खेती** - संरक्षित कृषि वाले 4000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए रोपण सामग्री, प्लांटेशन, सिंचाई, फर्टिगेशन, मशीनीकरण आदि सहित प्रोजेक्ट मोड में एकीकृत वाणिज्यिक बागवानी परियोजानाओं और उत्पादन/प्रोसेसिंग परियोजनाओं के लिए एमआईडीएच के तहत निर्धारित लागत नियमों के अनुसार, कुल परियोजना लागत का 50% की दर से बैक-एंडेड सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति परियोजना ₹1.00 करोड़ होगी।

1.3 **फसलोपरांत प्रबंधन** - पैक हाउस, राइपनिंग चैंबर, रेफेर वैन, रिटेल आउटलेट, प्री-कूलिंग यूनिट, प्राइमरी प्रोसेसिंग आदि से संबंधित एकीकृत पीएचएम परियोजनाओं के लिए, एमआईडीएच के तहत निर्धारित लागत नियमों के अनुसार परियोजना लागत की 35% से 50% तक की दर से क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके लिए कोई राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह योजना मांग पर आधारित है और पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही है।

2. **बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी -** इस योजना के अंतर्गत, 5000 एमटी से अधिक और 20000 एमटी तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज और सीए स्टोर के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए क्रेडिट-लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी मंज़ूर की जाती है। कोल्ड स्टोरेज/प्याज स्टोरेज के अलग-अलग आकार/प्रकार के लिए निर्धारित लागत मानकों के अनुसार यह सब्सिडी सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत की 35% की दर से और पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों व अनुसूचित क्षेत्रों में 50% की दर से दी जाती है।

उपर्युक्त सभी योजनाएँ में मांग पर आधारित प्रकृति की हैं और स्वीकार्य परियोजनाओं हेतु निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाती है।

कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) को आवंटित/जारी किए गए बजट और वर्ष 2023-24 में अब तक इसके लिए एनएचबी द्वारा व्यय किए गए फंड का विवरण 'अनुबंध-I' में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2023-24 में अब तक योजना-वार**,** वर्ष-वार और राज्य-वार परियोजनाओं और लाभान्वित किसानों की संख्या का विवरण **अनुबंध-II और III** में दिया गया है।

अनुबंध-I

कृषि एवं किसामन कल्याण विभाग द्वारा एनएचबी को आवंटित/जारी की गई धनराशि और एनएचबी द्वारा उपयोग की गई धनराशि का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्रम सं.	योजना/परियोजना/कार्यक्रम का नाम	2023-24		2024-25		2025-26		2026-27 अब तक	
		आवंटित/जारी बजट	*उपयोग किया गया फंड	आवंटित/जारी बजट	*उपयोग किया गया फंड	आवंटित/जारी बजट	*उपयोग किया गया फंड	आवंटित/जारी बजट	*उपयोग किया गया फंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	217.25	246.43	*277.02	278.79	341.76	341.74	78.80	48.82

*विगत वर्ष के अव्ययित शेष सहित उपयोग किया गया फंड

अनुबंध- II

"बागवानी फसलों के उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंधन के माध्यम से वाणिज्यिक बागवानी का विकास" योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जारी की गई राज्यवार और वर्षवार एनएचबी सब्सिडी का विवरण (दिनांक 20.07.2026 तक)

		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27 (दिनांक 20.07.2026 तक)	
क्र.सं.	राज्य का नाम	किसानों/परियोजनाओं की संख्या	सब्सिडी (लाख रुपये में)	किसानों/परियोजनाओं की संख्या	सब्सिडी (लाख रुपये में)	किसानों/परियोजनाओं की संख्या	सब्सिडी (लाख रुपये में)	किसानों/परियोजनाओं की संख्या	सब्सिडी (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	6	51.69	8	83.029	3	96.315	-	-
2	असम	1	72.5	1	33.43	-	-	-	-
3	बिहार	-	-	1	21.07	1	15	-	-
4	छत्तीसगढ़	28	725.36	58	1,554.79	32	969.26	2	88.08
5	दिल्ली	1	6.65	-	-	1	50.75	-	-
6	गोवा	1	50.75	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	20	624.958	10	220.061	11	428.399	-	-
8	हरियाणा	19	729.34	33	1,185.70	59	1,751.05	5	136.23
9	हिमाचल प्रदेश	1	13.765	6	75.478	1	9.6	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	4	107.715	5	129.46	4	113.5	-	-

11	झारखंड	1	41.86	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	36	1,192.96	40	872.151	26	1,027.83	4	247.911
13	केरल	1	8.75	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	23	537.405	33	697.57	77	1,769.86	6	152.32
15	महाराष्ट्र	196	4,184.61	187	4,780.53	170	4,677.17	9	350.33
16	ओडिशा	9	142.55	4	37.742	3	71.09	-	-
17	पंजाब	2	11.338	3	95.845	4	101	-	-
18	राजस्थान	23	655.497	47	1,276.53	84	2,514.54	-	-
19	तमिलनाडु	11	362.569	33	1,141.22	28	931.31	5	310.355
20	तेलंगाना	8	247.32	10	280.581	2	10.104	-	-
21	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	-	-	-	1	56	-	-
22	त्रिपुरा	-	-	-	-	1	14.1	-	-
23	उत्तर प्रदेश	27	857.186	20	545.444	20	635.57	-	-
24	उत्तराखंड	2	62.58	7	273.617	6	221.797	-	-
25	पश्चिम बंगाल	1	49.67	-	-	-	-	-	-
	कुल	**421**	**10,737.02**	**506**	**13,304.24**	**534**	**15,464.24**	**31**	**1,285.23**

अनुबंध- III

बागवानी उत्पादों के कोल्ड-स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जारी की गई राज्यवार और वर्षवार एनएचबी सब्सिडी का विवरण (दिनांक 20.07.2026 तक)।

		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27 (दिनांक 20.07.2026 तक)	
क्र. सं.	राज्य का नाम	किसानों/परियोजनाओं की संख्या	सब्सिडी (लाख रुपये में)	किसानों/परियोजनाओं की संख्या	सब्सिडी (लाख रुपये में)	किसानों/परियोजनाओं की संख्या	सब्सिडी (लाख रुपये में)	किसानों/परियोजनाओं की संख्या	सब्सिडी (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	15	3375.5	3	488.3	1	12.3	1	204.7
2	असम	-	-	2	237.9	1	17.5	-	-
3	बिहार	1	172.9	-	-	-	-	-	-
4	छत्तीसगढ़	1	158.8	2	174.7	2	259.1	-	-
5	गुजरात	-	-	-	-	4	1242.9	1	183.8
6	हरियाणा	-	-	1	283.8	1	226.2	-	-
7	जम्मू और कश्मीर	2	486.7	-	-	-	-	-	-
8	झारखंड	-	-	1	173.6	-	-	-	-
9	कर्नाटक	9	1840.8	8	1123.0	14	2300.6	-	-
10	मध्य प्रदेश	3	445.6	26	3450.5	31	5099.9	-	-

11	महाराष्ट्र	10	1146.2	17	2511.7	13	1228.1	-	-
12	पंजाब	11	1097.1	21	2302.0	30	3650.3	-	-
13	राजस्थान	1	168.4	3	509.9	2	324.2	-	-
14	तेलंगाना	9	2074.7	2	437.9	6	1302.8	-	-
15	उतर प्रदेश	12	1015.6	14	1365.8	16	1913.3	-	-
16	उत्तराखंड	1	226.9	-	-	-	-	-	-
17	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	1	12.3	-	-
	कुल	**75**	**12209.2**	**100**	**13059.1**	**122**	**17589.4**	**2**	**388.5**

****